न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :- 12 / 2022

उनवान

सुवा पुत्र पाचू जाति भील निवासी ग्राम रामपुरा (हनुवतिया), नसीराबाद
--- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

वनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, नसीराबाद
-- अप्रार्थीगण :- जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- आदेश :- दिनांक :- 31.8.22

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा (हनुवतिया) के खाता नम्बर 273 / 276 हाल खसरा नम्बर 202 / 2193 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 202 रकबा 0.25 से होकर आवागमन करते है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम रामपुरा (हनुवतिया) के खसरा नम्बर 203 / 2193 रकबा 0.12 व अन्य खसरा नम्बर की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 202 रकबा 0.25 की आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज है। खसरा नम्बर 204 रकबा 0.06 गै0मु0 रास्ता है जो सिवायचक खाते ... है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित खसरा न... पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई लघुतम / दीर्घतम मार्ग नही है। खसरा नम्बर 202 / 21... पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 202 मेरा 27 मीटर लम्बे व 10 मीट... आवश्यक ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग मौके पर नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के खण्डन हेतु प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई तथ्य अंकित नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में बताये गये मार्ग को उपलब्ध कराने से प्रार्थी के हितो की पूर्ति भी होती है। किन्तु धारा 251 ए में अधिकतम 30 फिट चौडा रास्ता ही दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को 10 मीटर के स्थान पर 9 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम रामपुरा (हनुवतिया) के खसरा नम्बर 202 में से 27 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौडा कुल 243 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 202 की आराजी के बदले 9550/ अक्षरे नो हजार पाचं सौ पचास रुपये राजकोश में जमा करवा कर गै0मु0रास्ता का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:12 IST
Reason: SelfAttested